कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – deanshahdol@gmail.com,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,
Office No. :- 07652 - 243000
Fax No. :- 07652 – 243222

क्रमांक/6797/स्था./एम.सी./2020 शहडोल, दिनांक 06.10.2020

विज्ञप्ति

कोविड–19 (कोरोना वायरस) महामारी की रोकथाम हेतु अतिरिक्त आवश्यक मानव संसाधन (पी.जी.एम.ओ. जनरल मेडिसिन, एनेस्थीसियोलॉजिट एवं चिकित्सा अधिकारी) की अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित निश्चित मासिक मानदेय पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, शहडोल (म.प्र.) में कार्य करने हेतु की जानी है। जिसकी पूर्ति हेतु वॉक इन इन्टरव्यू की प्रकिया दिनांक 07.10.2020 से रिक्त पदों की पूर्ति होने तक निरंतर जारी रहेगी।

पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	पदनाम	पद संख्या
01	पी.जी.एम.ओ. (General Medicine)	05
02	पी.जी.एम.ओ. (Anaesthesiologist)	05
03	चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)	30

- **आवश्कतानुसार पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।**

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत कोविड–19 महामारी के बचाव हेतु की जा रही है। **जिसकी अवधि नियुक्ति दिनांक से 03 माह तक होगी** एवं आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल से प्राप्त आदेशानुसार बढ़ाई–घटाई जा सकती है।
3. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. चयनित अभ्यार्थी को मासिक मानदेय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र. भोपाल द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर देय होगा।
5. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय– समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner

पद का नाम, संख्या, शैक्षणिक योग्यता एवं वांछनीय अर्हतायें संबंधी विवरण

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यता)	पद संख्या	मासिक मानदेय (NHM द्वारा निर्धारित)
1	पी.जी.एम.ओ. (General Medicine)	एम.डी. जनरल मेडिसिन	05	1,25,000/- (डिग्री), 1,10,000/- (डिप्लोमा) इसके अतिरिक्त COVID-19 नियंत्रण के परिपेक्ष्य में विषय विशेषज्ञता के कारण इन्हें 100 प्रतिशत (Incentives) राशि देय होगी।
2	पी.जी.एम.ओ. (Anaesthesiologist)	एम.डी./डी.ए. एनेस्थीसिया	05	
3	चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)	एमबीबीएस (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय) एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में जीवित पंजीयन	30	60,000/-

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।

महत्वपूर्ण टीप :- *यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।*

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner